POLITICAL SCIENCE Dep
B.A. II (Hons) Paper III

Dr. HUSNA ARA
Asst. Professor
Dr. L.K.V.D. College, Tajpur
Samastipur

⑥ स्वतंत्रता –

संविधान द्वारा राज्य के समस्त नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, भाषण, संघ बनाने आदि की स्वतंत्रता होगी। नागरिक मतदान में भाग ले सकेंगे, प्रतिनिधियों को चुन सकेंगे, निर्वाचन में खड़े हो सकेंगे। नागरिकों को व्यक्तित्व के विकास हेतु भी स्वतंत्रता प्राप्त होगी।

⑦ पंथनिरपेक्षता

पंथनिरपेक्षता का तात्पर्य है राज्य के अंतर्गत धर्म को नितांत व्यक्तिगत माना गया है। संविधान में धर्म एवं उपासना की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

⑧ समता –

संविधान में व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने की बात कही गई हो सभी नागरिकों को अवसर की समता प्राप्त होगी। संविधान में इस बात का ध्यान रखा गया है कि जाति, वंश आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा।

Scanned with CamScanner

(9) राष्ट्रीय एकता –

संविधान में राष्ट्रीय एकता पर बल दिया गया है। भाषा, धर्म, संस्कृति आदि की विविधता होते हुए भी भारत एक राष्ट्र है। राज्य एवं समाज में नागरिकों के मध्य बंधुत्व की भावना रहेगी एवं उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इससे राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ होगी।

(10) शासन के ध्येयों की घोषणा –

संविधान में भारतीय शासन — कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के ध्येयों की स्पष्ट घोषणा की गई है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के कार्यों को संविधान में स्पष्ट किया गया है। शासन के सभी इकाइयों का उद्देश्य लोककल्याण एवं देश की समृद्धि करना होगा ताकि हमारा राष्ट्र विकास के मार्ग पर अग्रसर हो।

इसप्रकार संविधान का दर्शन एक आदर्श संविधान की स्थापना का प्रयास करता है जिसमें सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास की, प्रतिष्ठा एवं अवसर की पूर्ण व्यवस्था का प्रयास किया गया है।

Dr. Jahanara Ara
Asst. Professor

Scanned with CamScanner